न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–242/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/242)

1. कमला देवी पुत्री जमना
2. ताराचन्द पुत्र जमना
3. लाडा देवी पत्नि जमना
4. लाली देवी पुत्री जमना
5. सुप्यार देवी पुत्री जमना

सर्वजाति बलाई, सर्वनिवासी ग्राम सिण्गारा, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. छोटू पुत्र रामनाथ
2. बोदू पुत्र रामनाथ
3. श्रवण पुत्र रामनाथ

सर्वजाति भांभी, सर्वनिवासी ग्राम सिणगारा, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर।

4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 26.04.2023 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 35/2022 (2022/101) बउनवानी छोटू वगैरह बनाम कमला देवी व अन्य.

उपस्थितः–

1. श्री मदनपुरी गोस्वामी, अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री रूपक शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03.
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 04.

निर्णय

दिनांकः–15.10.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 35/2022 (2022/101) में पारित आदेश दिनांक 26.04.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 3 ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

ने प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/अपीलांटस की तलबी जरिए नोटिस की गई जिसमें अप्रार्थीगण/अपीलांटस की तामीली आदेशिका दिनांक 02.02.2023 दर्ज की गई तथा प्रकरण नियमित रूप से विचाराधीन होने के प्रश्चात दिनांक 26.04.2023 को प्रकरण को प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प थल में नियत कर उसी दिनांक को रेस्पोडेंटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर अपीलांटस की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात में से रास्ता प्रदान करने का निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 35/2022 (2022/101) में पारित आदेश दिनांक 26.04.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रार्थीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किए प्रकरण को कोर्ट कैम्प में नियत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम करने का आदेश प्रदान कर दिया, जिसकी पूर्व में प्रार्थीगण को जानकारी नहीं थी। उक्त जानकारी अभी हाल ही में दिनांक 5.7.2023 को प्रार्थीगण जब अपने खेत पर सार संभाल हेतु गए तो जानकारी हुई कि उक्त रास्ते बाबत न्यायालय में निर्णय पारित हो चुका है जल्द ही मौके पर रास्ता कायम किया जाएगा जिस पर प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जाकर उक्त प्रकरण की जानकारी की तब प्रार्थीगण को पता चला कि प्रकरण में निर्णय दिनांक 26.4.2023 को निर्णय प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में पारित किया जा चुका है। तत्पश्चात प्रार्थीगण ने नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 6.7.2023 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 12.7.2023 को नकल प्राप्त हुई। जिसे लेकर प्रार्थीगण दिनांक 22.7.2023 को अजमेर आकर अधिवक्ता से मिले जिन्होंने अविलम्ब उक्त अपील तैयार करवाई एवं आज जानकारी से अंदर मियाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सद्भाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस द्वारा प्रकरण दिनांक 17.11.2022 को प्रस्तुत किया गया जो कि दिनांक 22.12.2022 में वास्ते तलबी हेतु नियत किया गया। दिनांक 22.12.2022 को किसी भी प्रकार की तामील रिपोर्ट अंकित नहीं की गई तथा दिनांक 2.2.2023 को अप्रार्थीगण/अपीलांट्स के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त होना अंकित कर प्रकरण को आगामी पेशी दिनांक 23.2.2023 में नियत कर दिया गया। दिनांक 23.2.2023, 2.3.2023, 16.3.2023 को बार एसोसियेशन में कार्य स्थगित रहने के कारण प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं हुई तथा दिनांक 16.3.2023 को प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 4.5.2023 पूर्व आदेश अनुसार नियत कर दी गई। इसी दौरान दिनांक 4.5.2023 से पूर्व ही प्रकरण को दिनांक 26.4.2023 को प्रशासन गांव के संग अभियान में नियत कर दिया गया जिसमें केवल वर्तमान

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित हुआ था। अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए प्रकरण में अंतिम रूप से निर्णय पारित कर दिया गया। इस प्रकार प्रकरण में कब रास्ते संबंधी तहसीलदार, रूपनगढ द्वारा रिपोर्ट तैयार कर, अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई यह अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में कहीं भी अंकित नहीं है। इस प्रकार बिना पूर्ण प्रोसीजर फोलो किए उक्त निर्णय पारित किया है। प्रकरण में संलग्न तहसीलदार रूपनगढ की मौका रिपोर्ट में सभी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की उपस्थिति/अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा जिस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना-पत्र में जो रास्ता चाहा गया है वह केवल मात्र अपीलांट्स/अप्रार्थीगण को अनावश्यक रूप से परेशान करने की नीयत से चाहा गया है जिस खसरा नम्बर की भूमि से प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस द्वारा रास्ता चाहा गया है वह अपीलांटस/अप्रार्थीगण की संयुक्त सह खातेदारी की आराजी है जिसका रकबा कम है तथा सहखातेदार अधिक है। इस प्रकार उक्त आराजी में से रास्ता दिया जाता है तो अपीलांट्स/अप्रार्थीगण के पास काश्त हेतु बहुत कम भूमि शेष रह जाएगी। प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स को चाहिए था कि यदि उक्त खसरा नम्बर में से रास्ता अति आवश्यक था तो अप्रार्थीगण/अपीलांट्स की आराजी खसरा नम्बर 495 से लगते हुए आराजी खसरा नम्बर 498 है जिसका रकबा भी अधिक है उक्त दोनों खसरा नम्बरान के मध्य जो मेड अवस्थित है उस पर से रास्ता मांगा जाना चाहिए था जिससे रास्ते में जाने वाली भूमि दोनों खसरा नम्बरान के खातेदारान के मध्य आधी आधी विभाजित हो जाती जिससे दोनों ही खसरा नम्बरान के खातेदारान को किसी प्रकार की हानि नहीं होती। इस प्रकार केवल अपीलांटस/अप्रार्थीगण के खसरे में से पूरा रास्ता प्रदान किया जाना विधि विरूद्ध है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस के खातेदारी खसरा नम्बर 497 की पूर्वी सीमा से लगते हुए आराजी खसरा नम्बर 491 अवस्थित है जिसका रकबा 5.9380 है0 जिसकी पूर्वी सीमा पर आबादी से आता हुआ रास्ता अवस्थित है में से प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस को रास्ता प्रदान किया जाता तो न्यायोचित होता क्योंकि उक्त खसरा नम्बर 491 की उत्तरी सींव पर एक कदीमी रास्ता अवस्थित है, जिसका उपयोग-उपभोग अपीलांटस एवं रेस्पोडेंटस दोनों ही संयुक्त रूप से आज दिन तक करते आ रहे थे परंतु उक्त आराजीयात स्वर्ण व्यक्ति की एवं राजनैतिक पहुंच व प्रभाव वाले व्यक्ति की होने उक्त रास्ता बंद कर दिया जिसको खुलवाने के बजाय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा उक्त वैकल्पिक रास्ते पर विचार किए बिना सीधे सीधे ही प्रकरण में आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होकर पारित किया गया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर,अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 35/2022 (2022/101) में पारित आदेश दिनांक 26.04.2023 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना-पत्र के जवाब/बहस में कथन किया कि विपक्षी द्वारा प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन मनगढत व झूठे है। अपीलांट ने मियाद प्रार्थना-पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद नहीं हैं। अतः न्यायालय से

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपील जवाब/बहस पर कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेंटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम सिणगारा, पटवार हल्का सींगला, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थल में खाता संख्या 294 के खसरा नम्बर 497 रकबा 2.8962 है0 भूमि किस्म बारानी द्वितीय अवस्थित है। प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नम्बर 497 में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 के खसरा नम्बर 494, 495, 496 में से होते हुए अपने खेतों तक आवागमन हेतु खुला है। दिनांक 25.8.2022 को खसरा नम्बर 495, 496 के सहखातेदारों अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा प्रार्थीगण को यह कहते हुए रोका गया कि यह रास्ता हमारे खेत में आता है जिस पर हमारा अधिकार है और जेसीबी से मेड लगाकर उक्त रास्ते को जबरन बंद कर दिया गया प्रार्थीगण ने अपने खेतों में जाने वाले पूर्व में चालू हो रखे रास्ते को चालू हो रखे रास्ते को चालू किए जाने की प्रार्थना अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 से कि किंतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने रास्ता खोले जाने से स्पष्ट मना कर दिया और दिनांक 25.8.2022 के बाद तो स्थिति लडाई–झगडे तक आ चुकी है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 495 व 496 के जिस रास्ते से अपने खेतो में आते जाते थे, उसे सरकारी रास्ता मान रहे थे। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने खसरा नम्बर 495, 496 से जो रास्ता प्रार्थीगण के खेतों तक 30 फीट का रास्ता जाता है उसे अवरूद्ध कर दिया गया। जिसके कारण प्रार्थीगण अपने खेतों तक ना तो स्वयं पहुंच पा रहे है ना ही कृषि उपकरण ट्रेक्टर ट्रोली व पशुधन को ले जा पा रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने दिनांक 25.8.2022 को प्रार्थीगण के उक्त रास्ते में आने जाने में बाधा उत्पन्न की। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 अपने खेत खसरा नम्बर 495 व 496 में से होकर गुजरने वाले रास्ते को स्थाई रूप से बंद करने पर आमादा है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 497 में पहुंचने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 495 व 496 से होता हुआ रास्ता ही लघुत्तम, निकटमत व सुविधाजनक रास्ता है। इसके अलावा कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से व नक्शे में तरमीम नहीं होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य वाद कारण बना रहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की भूमि खसरा नम्बर 495 में से रास्ता दर्ज करने के आदेश दिए। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय संगत व विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

9. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। अतःप्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

10. हमने पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस संख्या 1 लगायत 3 ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/अपीलांटस की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। जिसमें अप्रार्थीगण/अपीलांटस की तामीली आदेशिका दिनांक 02.02.2023 दर्ज की गई तथा दिनांक 23.02.2023 को अप्रार्थी संख्या 02 ताराचन्द ही उपस्थित हुए, प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 02.03.2023 नियत की गई, दिनांक 16.03.2023 को आगामी पेशी दिनांक 04.05.2023 नियत की गई, किन्तु प्रकरण को बिना अप्रार्थीगण को नोटिस या सूचना दिये ही प्रकरण दिनांक 26.04.2023 को प्रकरण को प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प थल में नियत कर दिया गया। दिनांक 26.04.2023 को जवाब सरकार प्राप्त हुआ तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 05 बिना सूचना के अनुपस्थित बताया गया हैं। अप्रार्थीगण/अपीलांटस को प्रशासन गांवो के संग अभियान बाबत् नोटिस/सूचना पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रशासन गांवों के संग अभियान या लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों को नियत किया जाता है जिसमें उभयपक्षकारान की सहमति हो या राजीनामा हो परंतु उक्त प्रकरण में कहीं पर भी उभयपक्षों की सहमति/राजीनामा नहीं हैं। पटवारी हल्का सींगला एवं भू–अभिलेख निरीक्षक थल द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह पाया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बोदू पुत्र रामनाथ आयु 60 जाति बलाई ही उपस्थित हुए व उनके हस्ताक्षर है तथा वर्तमान अपीलांट संख्या 2 व 3 का नाम भी उक्त मौका रिपोर्ट में है परंतु उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना किया, ऐसा मौका रिपोर्ट में अंकित है। मौका रिपोर्ट दिनांक 12.04.2023 में सभी प्रार्थी उपस्थित नहीं हुए व प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एकपक्षीय मौका रिपोर्ट है। इस प्रकार की रिपोर्ट सभी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में तैयार की गई है तथा मौके रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते बाबत् कोई हवाला नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगवाई गई मौका रिपोर्ट के अवलोकन से पाया कि उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में बनाई गई है, ऐसी स्थिति में उक्त एक पक्षीय मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किये है वह विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उपरोक्त कारणों से निरस्त किए जाने योग्य हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

11. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 35/2022 (2022/101) में पारित आदेश दिनांक 26.04.2023 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि वे प्रार्थना–पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा मौके पर उपलब्ध वैकल्पिक रास्ते का विकल्प देखते हुए 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 के प्रावधानों की पालना करते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर उभय पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए। विस्तृत रूप सें गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान या उनके अभिभाषक को पावंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के समक्ष दिनांक 18.11.2024 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

15/10/24

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर